न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 1168 / 20 / अजमेर (2020 / 01168)

विभागीय अपील द्वारा श्री मोहन लाल राव, पटवारी रीठ तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर, भीलवाड़ा आदेश क्रमांक प.1 ख 16 (1)(5)भू.अ. / विजा / 2015 / 71068 दिनांक 05–11–2015 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री मोहन लाल राव, पटवारी रीठ तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा।

निर्णय

दिनांकः–25.01.2021

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 05–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम एक ज्ञापन क्रमाक 6789 दिनांक 04 / 06–5–2015 मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–1

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:47 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आप द्वारा पटवारी रीठ के पद पर आपके कार्य अवधि के दौरान मौजा कोदिया तहसील कोटड़ी की स्थित आराजी नम्बर 949 / 2 के दिनांक 2–5–2011, 4–7–2011 व 21–10–2013 को जारी नक्शा ट्रेस के पड़ौस न0 भिन्न–भिन्न दर्शाये गये है। इस प्रकार तीनों नक्शा ट्रेसों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आप द्वारा नक्शे अनुसार नहीं दर्शा कर गंभीर अनियमितता बरती गई है एवं

कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही की है। इस प्रकार आप उक्त कृत्य के लिए प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 7–7–2015 को निर्धारित अवधि में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। इनको दिनांक 4–11–2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कार्मिक ने वे ही तथ्य दोहराये जो उसने अपने जवाब में अंकित किये थे। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने पर उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश दिनांक 5–11–2015 को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपचारी पटवारी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपचारी पटवारी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 5–11–2015 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया गया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध जारी आरोप पत्र में दिनांक 2–5–2011, 4–7–2011 व 21–10–2013 का जिक्र किया गया है जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध पारित दण्डादेश में आरोप में दिनांक 2–5–2011 व 21–10–2013 को नक्शा ट्रेस जारी करने के बारे में उल्लेख है। इस तात्विक त्रुटि पर माननीय अनुशासनिक अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस त्रुटि के कारण भी जेर अपील आदेश निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अपीलार्थी ने अनुशासनिक अधिकारी को प्रेषित अपने जवाब में भी यह कथन किया था कि आराजी नम्बर 949/2 ग्राम कोदिया की कथित नक्शा ट्रेस नकल दिनांक 21–10–2013 को प्रार्थी द्वारा जारी ही नहीं की गई और न इस नकल के विवरण को राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू मैन्युअल के फार्म पी–35 में अंकन है। उक्त फार्म में पटवारी अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों के उद्हरण देने के लिए फीस की रकम लेगा और उसे इस फार्म में इन्द्राज करेगा। जब अपीलार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस दिनांक 21–10–2013 को प्रतिलिपि जारी ही नहीं की तो फिर इसके निमित कोई फीस भी नहीं ली और

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:47 IST
Reason: SelfAttested

इसी कारण फार्म पी–35 में इसका इन्द्राज भी नहीं है। उक्त नियमों के नियम 28 (बी) में ट्रेस की प्रतिलिपि पटवारी द्वारा देने का प्रावधान है, जिसके लिए निर्धारित फीस ली जायेगी एवं इसका इन्द्राज पी–35 में किया जावेगा। दिनांक 4–7–2011 की नकल ट्रेस अपीलार्थी द्वारा बनाई गई थी, जो नक्शा शीट के अनुरूप है एवं इस नक्शा ट्रेस को जांचोपरान्त भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी सही बताया है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि दिनांक 2–5–2011 की ट्रेस नक्शा प्रतिलिपि की फोटो प्रतिलिपि को कांट–छांट कर पेश की गई है जो सही नहीं है। अनुशासनिक अधिकारी ने दिनांक 2–5–2011 व 4–7–2011 की तुलना कर नक्शा ट्रेस में भिन्नता बताई है जो उचित नहीं है। अपीलार्थी ने अपने प्रतिउत्तर में स्पष्ट कर दिया था कि दिनांक 2–5–2011 की नक्शा प्रतिलिपि पटवार मण्डल रीठ से जारीशुदा नहीं है। प्रार्थी के इस कथन पर माननीय अनुशासनिक अधिकारी ने विश्वास न कर जो दण्डादेश पारित किया है वह निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि श्रीमती विद्यादेवी पत्नी प्रभुदयाल बावला निवासी जवाहर नगर भीलवाड़ा ने झूठी शिकायत उपखण्ड अधिकारी कोटडी को की जिसमें वे स्वयं जांच अधिकारी तहसीलदार कोटड़ी के समक्ष जांच में उपस्थित नहीं हुई एवं उनके पुत्र अमित बावला एडवोकेट ने रेकार्ड प्रस्तुत किया। उक्त शिकायत की जांच के संबंध में तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया है कि ''ग्राम कोदिया में खसरा नम्बर 949/1 रकबा 08 बीघा की खातेदारी श्रीमती विद्यादेवी पत्नी प्रभुदयाल बावला निवासी जवाहरनगर के नाम है। इस भूमि के पूर्व में लगता हुआ सड़क से कोलीखेड़ा को रास्ता जाता है जो मौके पर चालू है।'' तहसीलदार, कोटड़ी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि इस आराजी के बाद में भूमि विक्रय एवं खाता विभाजन के कारण खसरा नम्बर 949/2, 949/5 एवं 949/6 बने है। नक्शा लठ्ठा में उक्त विभाजन के खसरा नम्बर 949/5 व 949/6 तरमीम किये हुए है परन्तु खसरा नम्बर 949/2 दर्शाया हुआ नहीं है। खाता विभाजन आदेश में साथ में तरमीम नक्शा उपलब्ध नहीं है। इस कारण खसरा नम्बर 949/2 की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है व श्री रघुवीर सिंह की भूमि के दो हिस्से खसरा नम्बर 949/2 व 949/5 कायम करने की स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो रही है। इस प्रकार इस खसरे के नक्शे में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण नक्शा ट्रेस ठीक से नहीं आ पाते है तथा मूल नक्शा कटा–फटा होने से आस–पास के नम्बरों का ट्रेस में सही नहीं हो पा रहा है। उक्त तथ्य की अनदेखी कर अनुशासनिक अधिकारी ने दण्डादेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:47 IST
Reason: SelfAttested

उन्होंने यह भी कथन किया कि दण्डादेश में अनुशासनिक अधिकारी ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर यह माना है कि ग्राम कोदिया का नक्शा

लठठा वर्तमान में जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है व पूर्व में जो आवंटन, विक्रय व आपसी सहमति से विभाजन होकर तरमीम की हुई है वह तरमीम व खसरा नम्बर स्पष्ट दिखाई नहीं देते है। प्रार्थीया की भूमि में आने–जाने का रास्ता चालू है तथा वर्तमान में मौके पर रास्ता खुलासा है तथा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया। तहसीलदार, कोटड़ी की रिपोर्ट को अनदेखा कर अनुशासनिक अधिकारी द्वारा पारित दण्डादेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के सर्वथा विपरहीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 5–11–2015 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर लगाये गये आरोप के संबंध में जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसमें उनके द्वारा पत्र क्रमांक 70402 दिनांक 01–12–2020 से टिप्पणी प्रेषित कर कथन किया कि अपीलार्थी की अपील के बिन्दु संख्या 1 से 10 के कथनों को अस्वीकार कर कथन किया है कि तहसीलदार, कोटडी ने पत्रांक 428 दिनांक 27–8–2015 को प्रेषित रिपोर्ट में पटवारी हलका रीठ द्वारा दिनांक 2–5–2011, 4–7–2011 व 21–10–2013 को जारी की गई नक्शें की प्रतिलिपियों में खसरा नम्बर लिखने में भिन्नता है। पटवारी हलका ने नक्शा लठठा से प्रतिलिपि जारी करते समय हूबहू प्रतिलिपि जारी नहीं कर खसरा नम्बर लिखने में लापरवाही की है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोदिया में खसरा नम्बर 949/1 रकबा 8 बीघा की खातेदार श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री प्रभुलाल बावला निवासी जवाहरनगर के नाम है। इस भूमि के पूर्व में लगता हुआ सड़क से कोलीखेड़ा को रास्ता जाता है जो मौके पर चालू है। इसी खसरा नम्बर में भवानीशंकर पुत्र सुवालाल एवं कन्हैयालाल पुत्र जगन्नाथ ब्राहम्ण को 07 बीघा भूमि आवंटित हुई जो आवंटन पत्रावली में संलग्न नक्शे की प्रतिलिपि में एक जगह दर्शायी हुई है। इस आराजी के बाद में भूमि एवं खाता विभाजन नामान्तरकरण संख्या 818 दिनांक 25–4–2011 से खसरा नम्बर 949/2 रकबा 7 बीघा के खसरा नम्बर 949/2 रकबा 2.10 बीघा, खसरा नम्बर 949/5 रकबा 1 बीघा श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री लादू सिंह के हिस्से में खसरा नम्बर 949/6 रकबा 3.10 बीघा भवानी शंकर पिता सुवालाल के हिस्से में दर्ज हुई। नक्शा लठ्ठा में उक्त खाता विभाजन के खसरा नम्बर 949/5 व 949/6 तरमीम की हुई है परन्तु खसरा नम्बर 949/2 दर्शाया हुआ नहीं है। खाता विभाजन आदेश के साथ में तरमीम नक्शा उपलब्ध नहीं है। इस कारण खसरा नम्बर 949/2 व 949/5 कायम करने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है व श्री रघुवीर सिंह के हिस्से के दो खसरा नम्बर 949/2 व 949/5 कायम करने की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। तहसीलदार द्वारा कोटडी के पूर्व पत्र दिनांक 6–11–2013 के अनुसार प्रार्थीया की भूमि खसरा नम्बर 949/1 के दक्षिण में सड़क के सहारे रघुवीर सिंह पुत्र लादू सिंह का मेड़ लगाकर कब्जा है। वर्तमान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:47 IST
Reason: SelfAttested

भूमि मौके पर पड़त है व मेड भी जगह जगह से टूटी हुई है। पटवारी हलका रीठ द्वारा दिनांक 2—5—2011, 4—7—2011 व 21—10—2013 को जारी की गई नक्शें की प्रतिलिपियों में खसरा नम्बर लिखने में भिन्नता है। पटवारी हलका ने नक्शा लठ्ठा से प्रतिलिपि जारी करते समय हुबहु प्रतिलिपि जारी नहीं कर खसरा नम्बर लिखने में लापरवाही की है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्य अपने बचाव हेतु प्रस्तुत किये है। उक्त लापरवाही के लिए याची श्री मोहन लाल राव तत्कालीन पटवारी रीठ तहसील कोठड़ी की एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (Without Cumulative Effect) से रोकने के दण्ड से दण्डित किया है जो सर्वथा उचित है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी पटवारी को जारी आरोप पत्र व अपचारी द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का गहराई से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध पारित आरोप पत्र में नक्शा ट्रेस जारी करने की दिनांक 2—5—2011, 4—7—2011 व 21—10—2013 का उल्लेख है जबकि अपीलार्थी को जारी दण्डादेश दिनांक 5—11—2015 में 2—5—2011 व 21—10—2013 को नक्शा ट्रेस जारी करने का उल्लेख है इस तात्विक त्रुटि पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अपीलार्थी ने यह भी कथन किया कि ग्राम कोदिया की नक्शा ट्रेस अपीलार्थी द्वारा जारी ही नहीं की गई इस नकल का अंकन पी—35 में नहीं है अपीलार्थी द्वारा जब नक्शा ट्रेस दिनांक 21—10—2013 की नकल जारी की ही नहीं है, तो फीस भी नहीं ली गई है। नियमों में यह भी प्रावधान है कि नियम 28 (बी)(5) में ट्रेस की प्रतिलिपि पटवारी द्वारा देने का प्रावधान है जिसके लिए विहित फीस ली जायेगी एवं इसका इन्द्राज फार्म पी—35 में किया जावेगा। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 4—7—2011 को नकल ट्रेस जारी किया गया था जो नक्शा शीट के अनुरूप है जिसे भू.अ.निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त सही पाया गया है। तहसीलदार, कोटडी की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि ग्राम कोदिया का नक्शा लठ्ठा वर्तमान में जीर्ण—शीर्ण अवस्था में है व पूर्व में जो आवंटन, विक्रय व आपसी स[illegible] विभाजन होकर तरमीम की हुई है वह तरमीम व खसरा न[illegible]ते है। प्रार्थीया की भूमि में आने—जाने का रास्ता चालू है तथा [illegible]के पर रास्ता खुला हुआ है तथा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं पाया [illegible]या। नक्शा ट्रेस में नक्शा लठ्ठा जीर्णशीण होने के कारण खसरा नम्बरों में भिन्नता आई है। अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर त्रुटि कारित करना नहीं पाया जाता है। अनुशासनिक अधिकारी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:47 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर भी यह माना है कि ग्राम कोदिया का नक्शा लठ्ठा वर्तमान में जीर्ण–शीण अवस्था में है व पूर्व में जो आवंटन, विक्रय व आपसी सहमति से विभाजन होकर तरमीम हुई है वह तरमीम व खसरा नम्बर स्पष्ट दिखाई नहीं देते है। प्रार्थीया की भूमि पर आने–जाने का रास्ता चालू था तथा मौके पर भी तत्समय रास्ता खुला हुआ था तथा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं था।

जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने तहसीलदार, कोटड़ी की जांच रिपोर्ट के आधार पर दण्डादेश पारित किया तथा अपचारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को नजरअन्दाज कर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव (With Cumulative Effect) के दण्ड से दण्डित किया गया है जो विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 5–11–2015 विधि के प्रावधानों व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री मोहन लाल राव, पटवारी रीठ तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक प.1ख 16(1)(5)/भू.अ./विजा/2015/71068 दिनांक 05–11–2015 विधिसम्मत नहीं होने से अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(डॉ0 वीना प्रधान),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:43:47 IST
Reason: SelfAttested